संख्या-6/2026/आई/1203791/001-23-7-2026-23-7005-6-2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2026

विषय-इजरावाद सं0-174/2019 विनोद कुमार निषाद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 वार्णिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 18.03.2025 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-I/226847/2025 दिनांक 01.08.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इजरावाद सं0-174/2019 विनोद कुमार निषाद बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में मा0 वार्णिज्यिक न्यायालय, प्रयागराज के खाते में धनराशि जमा करने हेतु रू0 67,85,018/- (रूपये सरसठ लाख पच्चासी हजार अट्ठारह मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,85,018 (रुपये सड़सठ लाख पचासी हजार अठारह मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-6/2026/आई/1203791/001-23-7-2026-23-7005-6-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
8- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in